

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 2061 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, जनवरी, 15, 2018.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय-

जनपद चमोली के अन्तर्गत सरकोट -देवसारी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।
Proposal No- FP/UK/ROAD/20189/2016.

सन्दर्भ-

प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 2311/12-1 दिनांक 20.12.2017.

महोदय,

उपयुक्त विषयक प्रकरण में वांछित आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा किया गया है जो निम्न प्रकार हैं:

बि० सं०	प्रस्ताव में लगे कतिपय कमियां	कमियों का निराकरण
1.	User agency may fill the details of cost-benefit analysis for the project in new format.	लागत-लाभ विश्लेषण नये फॉरमेट में तैयार कर ऑनलाइन Part-I Para G(a) में अपलोड कर दिया गया है।
2.	Employment details provided in online part-I appears incorrect. The user agency may review the same and provided correct details.	लागत लाभ विश्लेषण के अनुसार ऑनलाइन Part-I para E (III) में संशोधन कर लिया गया है।
3.	Please upload proper and detailed justification for the proposed project in forest area.	लाभान्वित ग्रामों हेतु पूर्व में कोई भी सड़क संयोजकता उपलब्ध नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों एवं विभाग द्वारा दिये गये विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात उक्त एकमात्र संरक्षण ही उपयुक्त पाया गया है। जिसका विस्तृत औचित्य ऑनलाइन Part-I, Para D(i) में अपलोड कर दिया गया है।
4.	Upload copy of non encumbrance certificate for the forest land in serial -h is erroneous	प्रमाण पत्र ऑनलाइन Part-I, Para L(iv) (h) में अपलोड कर दिया गया है।
5.	Figure given in para B-2-3 do not tall with the figure given in B-2.4 which is required to be reviewed and corrected by the user agency.	पार्ट- I के कॉलम नं० B-2.3 में संशोधन कर लिया गया है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जी०के०रस्तोगी)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no- 01372-252175

पत्रांक 2311/12-1

, गोपेश्वर,

दिनांक

20 2017।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पीड़ी।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- ई0डी0एस0 दिनांक 23.11.2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग प्रस्ताव में लगे कतिपय कमियों का निराकरण अधिसारी अभियन्ता, स्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, धराली के पत्र सं0 2148/36 दिनांक 01.12.2017 (संलग्न) से निम्नानुसार प्रेषित किया गया है -

बि0 सं0	प्रस्ताव में लगे कतिपय कमियां	कमियों का निराकरण
1.	User agency may fill the details of cost-benefit analysis for the project in new format.	लागत-लाभ विश्लेषण नये फॉरमेट में तैयार कर ऑनलाईन Part-I Para G(a) में अपलोड कर दिया गया है।
2.	Employment details provided in online part-I appears incorrect. The user agency may review the same and provided correct details.	लागत लाभ विश्लेषण के अनुसार ऑनलाईन Part-I para E (III) में संशोधन कर लिया गया है।
3.	Please upload proper and detailed justification for the proposed project in forest area.	लाभान्वित ग्रामों हेतु पूर्व में कोई भी सड़क संयोजकता उपलब्ध नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों एवं विभाग द्वारा दिये गये विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात उक्त एकमात्र संरक्षण ही उपयुक्त पाया गया है। जिसका विस्तृत औचित्य ऑनलाईन Part-I, Para D(i) में अपलोड कर दिया गया है।
4.	Upload copy of non encumbrance certificate for the forest land in serial -h is erroneous	प्रमाण पत्र ऑनलाईन Part-I, Para L(iv) (h) में अपलोड कर दिया गया है।
5.	Figure given in para B-2-3 do not tall with the figure given in B-2.4 wick is required to be reviewed and corrected by the user agency.	पार्ट-1 के कॉलम नं0 B-2.3 में संशोधन कर लिया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(एन0एन0एम0एडय)
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर